A2
32

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी – यशपाल आहूजा, आर.ए.एस.
Camp - Chak 18 G G

वादपत्र संख्या 25/2017
अन्तर्गत धारा 88,53 राज. काश्तकारी अधिनियम

1. अभय चौधरी आत्मज श्री सिद्धकुमार, जाट, चक 1 एच बड़ा मदेरां. तहसील व जिला श्रीगंगानगर एवं
2. श्रीमती दयावन्ती धर्मपत्नी श्री सिद्धकुमार, जाट, चक 1 एच बड़ा मदेरां, तहसील व जिला श्रीगंगानगर.

.....वादीगण

बनाम

1. राज्य सरकार द्वारा तहसीलदार(राजस्व), श्रीगंगानगर.
2. श्रीमती विजयलक्ष्मी धर्मपत्नी श्री भजनलाल, जाट, चक 1 एच बड़ा मदेरां तहसील व जिला श्रीगंगानगर

....प्रतिवादीगण

उपस्थिति– श्री तेजासिंह (वादीगण)
पैरोकार राज (प्रतिवादी–1)
श्री विरेन्द्र सिहाग (प्रतिवादी–2)

दिनांक 01 जून, 2018

– आदेश –

वादपत्र के तथ्यों के अनुसार चक 1 एच बड़ा तहसील जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 46 मुरब्बा नम्बर 2 किला नम्बर 1, 2, 8 से 14, किला नम्बर 16 से 25 कुल 3.640 हैक्टर, मुरब्बा नम्बर 36 किला नम्बर 11 से 19 की 2.405 हैक्टर, मुरब्बा नम्बर 41 किला नम्बर 4 5, 13, 18, 23 की 1.075 हैक्टर, मुरब्बा नम्बर 50 किला नम्बर 3 से 13 से 18, किला नम्बर 23 से 25 की 3.720 एवं मुरब्बा नम्बर 64/19 में 0.050 हैक्टर खाल कुल 11.11 हैक्टर कृषि भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण के संयुक्त खाता में दर्ज है. प्रश्नगत कृषि भूमि वादीगण के दादा श्री बालूराम की पैतृक सम्पतित है श्री बालूराम के नाम दर्ज कृषि भूमि वादिया के श्वसुर एवं वादी संख्या 1 के पिता के ससुर को प्राप्त हुई थी. श्री भजनलाल को दिनांक 1 मार्च, 2016 को मृत्योपरान्त वादीगण एवं प्रतिवादी के नाम से कृषि भूमि राजस्व अभिलेखों में दर्ज की गयी. चूंकि प्रश्नगत कृषि भूमि पैतृक सम्पत्ति है जिसमें वादीगण का जन्म से ही अधिकार है. प्रश्नगत कृषि भूमि बिना विभाजन करवाये इसे बंधक, विक्रय अथवा हिस्सा ठेका पर प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा नहीं दिया जा सकता क्योंकि संयुक्त खाता है. इसलिये वादीगण प्रतिवादी के विरूद्व अधिकारों की घोषणा करवाकर विभाजन करवाने के अधिकारी हैं. वादी संख्या 2 के ससुर श्री भजनलाल के नाम पर दर्ज 7.406 हैक्टर कृषि भूमि वादी संख्या 2 की सास प्रतिवादी संख्या 2 के नाम पर दर्ज की गयी. श्री भजनलाल की मृत्योपरान्त श्री भजनलाल का पुत्र सिद्धकुमार की भी मृत्योपरान्त श्री सिद्धकुमार के दो वारिस कमशः वादी संख्या 1 व वादिया संख्या 2 हैं. इस प्रकार श्री भजनलाल के नाम पर दर्ज कृषि भूमि अकेले प्रतिवादी संख्या 2 के नाम दर्ज की गयी है में भी वादीगण का हक है

सहायक कलक्टर एवं
कार्यापालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

A2
33

हिस्सा है. वादी संख्या 1 के पिता श्री सिद्वकुमार के नाम से चक 2 एच बड़ा तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 70/60 मुरब्बा नम्बर 23 किला नम्बर 16 से 25 की 2.479 हैक्टर, मुरब्बा नम्बर 24 किला नम्बर 16, 22 से 25 की 1.265 हैक्टर कुल 3.795 हैक्टर कृषि भूमि राजस्व अभिलेखों में दर्ज थी जिनकी मृत्योपरान्त उनके पुत्र एवं धर्मपत्नी (वादी संख्या 1 व 2) ही चूंकि जायज वारिसान हैं, जिनके नाम पर ही राजस्व अभिलेखों में भूमि दर्ज होनी चाहिये थी. श्री सिद्वकुमार की मृत्योपरान्त वादीगण अभिलेखीय खातेदार बन गये किन्तु नामान्तरकरण दिनांक 20 फरवरी, 2017 वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 के नाम पर दर्ज किया गया जो कि अवैद्य एवं शून्य है. इसलिये वादीगण प्रतिवादी संख्या 2 के विरूद्व अधिकारों की घोषणा करवाकर चक 2 एच बड़ा के खाता संख्या 70/60 की कृषि भूमि की अपने नाम पर डिक्री जारी करवाकर अपने खातेदारी अधिकारों की घोाणा करवाने के अधिकारी हैं. चक 1 एच बड़ा व चक 2 एच बडा स्थिति कृषि भूमि संयुक्त खाता में दर्ज है. प्रतिवादी संख्या 2 काफी वृद्व हैं जिन्हें कुछ असामाजिक तत्व अपने साथ ले गये तथा बहकाकर भूमि को विक्रय एवं खुर्दबुर्द करने में प्रयासरत हैं जबकि प्रश्नगत कृषि भूमि पैतृक सम्पत्ति है तथा संयुक्त खाता में दर्ज है जिसमें वादीगण का जन्म से अधिकार है इसलिये भूमि का जब तक विभाजन व अधिकारों की घोषणा नहीं होती तब तक प्रश्नगत कृषि भूमि को किसी भी तरीका से हस्तान्तरित न करें. यदि वाद के दौरान कृषि भूमि अन्तरित अथवा खुर्दबुर्द हो जाती है तो वादीगण को अपूर्णनीय क्षति होने के साथ साथ वादपत्र का उद्देश्य भी समाप्त हो जायेगा. ऐसी स्थिति में, वादीगण, प्रतिवादीगण के विरूद्व वादपत्र के लम्बनकाल में इस आश्य की स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी हैं कि जब तक भूमि का विभाजन एवं अधिकारों की घोषणा नही हो जाती तब तक प्रश्नगत कृषि भूमि को बंधक, विक्रय अथवा अन्य किसी भी तरीका से अन्तरित एवं खुर्दबुर्द करने से निषिद्व रहें. वादीगण द्वारा कई बार प्रतिवादी संख्या 2 को कथन किया गया कि प्रश्नगत कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में वादीगण के नाम दर्ज करवावे क्योंकि श्री भजनलाल एवं श्री सिद्वकुमार की भूमि में वादीगण की वारिस हैं किन्तु प्रतिवादी संख्या 2 भूमि नाम करवाने से साफ इन्कार हो गये. आज से पहले दिनांक 15 मार्च, 2017 को घर जाकर प्रतिवादी संख्या 2 को कथन किये गये तो प्रथमताः टालमटोल करते हुऐ दिनांक 15 मार्च, 2017 को प्रश्नगत कृषि भूमि वादीगण के नाम करवाने से साफ इन्कार कर दिया गया. यही वादहेतुक है. इस प्रकार वादीगण द्वारा चक 1 एच बड़ा में 7.406 हैक्टर कृषि भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 का बहिस्सा बराबर बराबर हक घोषित किया जाकर डिक्री जारी करने एवं चक 2 एच बड़ा में वादीगण के पिता/पति के नाम पर दर्ज भूमि के प्रतिवादी संख्या 2 के पक्ष में दर्ज नामान्तकररण को अवैद्य व शून्य होने के कारण प्रतिवादी संख्या 2 का नाम विलोपित कर वादीगण का नाम दर्ज करने, प्रश्नगत कृषि भूमि में वादीगण का हिस्सा घोषित किया जाकर उनके हिस्सा के अनुसार भूमि का विभाजन कर पृथक पृथक खाता कायम करने हेतु प्रारम्भिक डिक्री जारी कर विभाजन प्रस्ताव मंगवाये जाकर अन्तिम डिक्री करने के साथ साथ चक 1 एच एवं चक 2 एच बड़ा में संयुक्त खाता कृषि भूमि का जब तक विभाजन नहीं होता, प्रतिवादी संख्या 2 के विरूद्व भूमि के विभाजन तक बंधक, विक्रय, हिस्सा ठेका अथवा किसी भी अन्य ठेका में अन्तरित नहीं करने बाबत स्थायी निषेधज्ञा जारी करने का निवेदन

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

A2
34

किया गया. वादपत्र के तथ्यों के समर्थन में चक 1 एच बड़ा की जमाबन्दी सम्बत् 2067–2070, चक 2 एच बड़ा की जमाबन्दी सम्बत् 2068–2071 की प्रमाणित प्रतियां सलंग्न प्रस्तुत की गयी.

प्रतिवादी संख्या 1 राज्यपक्ष की ओर से पैरोकार राज एवं प्रतिवादी संख्या 2 अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित.

प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से जवाब वादपत्र दिनांक 7 अप्रेल, 2017 प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार बिन्दु संख्या 2 को स्वीकार करते हुऐ शेष बिन्दुओं में अंकित तथ्यों को वादीगण द्वारा स्वयं सिद्व करने के कथन किये गये.

प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से जवाब वादपत्र दिनांक 12 जून, 2017 प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार वादी संख्या 1 प्रतिवादी संख्या 2 का पौत्र है किन्तु वादी संख्या 2 श्रीमती दयावन्ती का प्रतिवादी संख्या 2 के पुत्र स्व. श्री सिद्वकुमार के मध्य मा. न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, श्रीगंगानगर द्वारा दिनांक 15 मार्च, 2007 को विवाह विच्छेद की डिक्री जारी की जा चुकी है.त्र इसलिये वादी संख्या 2 प्रतिवादी संख्या 2 के परिवार की सदस्य नहीं है. वादपत्र के बिन्दु संख्या 2 में वर्णित कृषि भूमि स्व. श्री भजनलाल की स्वःर्जित कृषि भूमि है. श्री भजनलाल की मृत्योपरान्त वादी संख्या 2 को प्रश्नगत कृषि भूमि में कोई हक व हिस्सा नहीं है. चूंकि वादी संख्या 2 श्रीमती दयावन्ती प्रतिवादी सख्या 2 के पुत्र स्व. श्री सिद्वकुमार की विधिक धर्मपत्नी नहीं है. वादी संख्या 2 का मृतक श्री सिद्वकुमार से दिनांक 15 मार्च, 2007 को माननीय जिला न्यायाधीश, श्रीगंगानगर द्वारा प्रकरण संख्या 119/2013 द्वारा विवाह विच्छेद की डिक्री जारी की जा चुकी है. इसलिये वादी संख्या 2 विधि अनुसार मृतक श्री सिद्वकुमार की कृषि भूमि की उतराधिकारिणी के तौर पर कोई भी हिस्सा नहीं ले सकती. प्रतिवादी संख्या 2 अपनी खातेदारी कृषि भूमि का उपयोग एवं उपभोग हर प्रकार से करने के लिये कानूनी रूप से स्वतन्त्र है उसे किसी भी प्रकार से अपनी खातेदारी कृषि भूमि के उपयोग एवं उपभोग से विधि अनुसार निषधित नहीं किया जा सकता. जो हिस्सा वादी संख्या 2 के नाम पर दर्ज किया गया है वह निरस्त किये जाने योग्य है. प्रतिवादी संख्या 2 के दो पुत्र सर्वश्री शिवकुमार(मृत) एवं श्री सिद्वकुमार (मृत) थे श्री शिवकुमार की मृत्यु उसकी अविवाहित स्थिति में ही हो गयी थी इसलिये मृतक श्री शिवकुमार की प्रथम श्रेणी की उत्तराधिकारिणी प्रतिवादी संख्या 2 अकेली ही है और मृतक श्री शिवकुमार के हिस्सा की कृषि भूमि सही तौर पर प्रतिवादी संख्या 2 को प्राप्त हुआ है. इस प्रकार उल्लेखित 7.406 हैक्टर कृषि भूमि में वादीगण का कोई हक व हिस्सा नहीं है. मृतक श्री सिद्वकुमार प्रतिवादी संख्या 2 का पुत्र था जिसके परिणामतः प्रतिवादी संख्या 2 मृतक श्री सिद्वकुमार की प्रथम श्रेणी की उत्तराधिकारिणी है. मा. न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, श्रीगंगानगर द्वारा पारित विवाह विच्छेद की डिक्री दिनांक 15 मार्च, 2007 के बाद वादी संख्या 2 मृतक श्री सिद्वकुमार की विधि पत्नी नहीं होने के कारण किसी भी प्रकार का हिस्सा प्राप्त करने की अधिकारिणी नहीं है. मृतक श्री सिद्वकुमार के नाम पर दर्ज कृषि भूमि में वादी संख्या 1 एवं प्रतिवादी संख्या 2 बहिस्सा बराबर बराबर प्राप्त करने के अधिकारी हैं. इसलिये वादी संख्या 2 के नाम पर दर्ज हिस्सा विधि अनुसार निरस्त किये जाने योग्य है. प्रतिवादी संख्या 2 अपनी कृषि भूमि पर सही तौर पर काबिज है जिसके विक्रय करने अथवा

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

A2
35

खुर्दबुर्द करने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है. चूंकि वादी संख्या 2 का किसी भी न्यायिक दृष्टिकोण से प्रश्नगत कृषि भूमि में कोई हिस्सा नहीं बनता इसलिये वह किसी भी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने की अधिकारिणी नहीं है. काउण्टरक्लेम में अंकित किया गया कि चक 2 एच बड़ा तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 70/60 मुरब्बा नम्बर 23 किला नम्बर 16 से 25 की 2.479 हैक्टर एवं मुरब्बा नम्बर 24 किला नम्बर 16, 22 से 25 की 1.265 हैक्टर कुल 3.795 हैक्टर कृषि भूमि में वादी संख्या 2 का कोई हक व हिस्सा नहीं है इसलिये राजस्व अभिलेखों में कुल 3.795 हैक्टर कृषि भूमि में वादी संख्या 2 श्रीमती दयावन्ती का नाम विलोपिता कर वादी संख्या 1 एवं प्रतिवादी संख्या 2 के नाम पर बहिस्सा बराबर बराबर दर्ज किये जाने, चक 1 एच बड़ा के खाता संख्या 46 मुरब्बा नम्बर 2 किला नम्बर 1,2, 8 से 14, किला नम्बर 16 से 25 कुल 3.64 हैक्टर, मुरब्बा नम्बर 36 किला नम्बर 11 से 19 की 2.405 हैक्टर, मुरब्बा नम्बर 41 किला नम्बर 4, 5, 13, 18, 23 की 1.075 हैक्टर एवं मुरब्बा नम्बर 50 किला नम्बर 3 से 8, किला नम्बर 13 से 18, किला नम्बर 23 से 25 की 3.72 हैक्टर कुल 11.11 हैक्टर में वादी संख्या 2 के नाम पर आधा हिस्सा दर्ज 3.704 हैक्टर, को निरस्त कर वादी संख्या 1 एवं प्रतिवादी संख्या 2 के नाम पर बहिस्सा बराबर बराबर दर्ज किये जाने एवं खाता विभाजन कर प्रतिवादी संख्या 2 के नाम पर दर्ज करने का निवेदन किया गया. इस प्रकार वादपत्र निरस्त कर काउण्टरक्लेम स्वीकार करने का निवेदन किया गया. जवाब वादपत्र के तथ्यों के समर्थन में मा. न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, श्रीगंगानगर द्वारा पारित निर्णय एवं विवाह विच्छेद की डिक्री दिनांक 15 मार्च, 2007, चक 1 एच बड़ा के नामान्तरकरण संख्या 16, चक 1 एच बड़ा के नामान्तरकरण संख्या 7, चक 1 एच बड़ा के नामान्तरकरण संख्या 98, चक 1 एच बड़ा के नामान्तरकरण संख्या 97, चक 1 एच बड़ा के नामान्तरकरण संख्या 280, चक 1 एच बड़ा के नामान्तरकरण संख्या 108, नामान्तरकरण संख्या 111 की प्रमाणित प्रतियां, अध्यक्ष, जल संसाधन(गंगनहर), जल उपभोक्ता संगम द्वारा बाराबन्दी पर्ची चक 1 एच बड़ा वर्ष 2014, अध्यक्ष, जल संसाधन(गंगनहर), जल उपभोक्ता संगम द्वारा बाराबन्दी पर्ची चक 1 एच बड़ा वर्ष 2014–15, संशोधित बाराबन्दी दिनांक 16 नवम्बर, 2009 मूल ही सलंग्न प्रस्तुत किये गये.

वादीगण द्वारा जवाबुल जवाब एवं जवाब काउण्टरक्लेम दिनांक 3 जुलाई, 2017 प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार वादी संख्या 2 श्रीमती दयावन्ती का तलाक अन्तिम नहीं हुआ था दिनांक 15 मार्च, 2007 के विरूद्व माननीय उच्च न्यायालय में अपील विचाराधीन थी, उसी दौरान उसके पति श्री सिद्वकुमार की मृत्यु हो गयी. इसलिये माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 28 मार्च, 2017 को मृत्यु होने के आधार पर अपील निष्प्रभावी मानते हुऐ अधिकारों की बाबत निर्देश जारी कर पत्रावली नस्तीबद्व की गयी. तलाक की अपील अन्तिम नहीं होने के कारण श्रीमती दयावन्ती को अपने अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता. श्रीमती दयावन्ती अपने पति की भूमि में हक व हिस्सा लेने की अधिकारिणी है. इसलिये वारिस होने के नाते भूमि का नामान्तरकरण तस्दीक किया गया है. जवाब वादपत्र में मिथ्या तथ्य अंकित किये गये हैं जिन पर विचार नहीं किया जा सकता. प्रश्नगत कृषि भूमि श्री भजनलाल के नाम पर पैतृक सम्पत्ति है जिसमें वादीगण का जन्म से ही अधिकार है. वादी संख्या 2 स्व. श्री सिद्वकुमार की धर्मपत्नी है उसकी तलाक की याचिका का निर्णय अन्तिम नहीं हुआ था. श्री भजनलाल की मृत्योपरान्त

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रैक) श्रीगंगानगर

A2
JG

श्री भजनलाल की सम्पत्ति में बतौर सिद्धकुमार वारिस होने के अनुसार श्रीमती विजयलक्ष्मी के साथ साथ बहिस्सा बराबर बराबर वादीगण हकदार हैं. श्री भजनलाल की सम्पत्ति में वर्णित 7.406 हैक्टर में वादीगण ½ हिस्सा के अधिकारी हैं. जवाब काउण्टर क्लेम में अंकित किया गया कि चक 2 एच बड़ा के खाता संख्या 70/60 मुरब्बा नम्बर 23 किला नम्बर 16 से 25 की 2.479 हैक्टर, मुरब्बा नम्बर 24 किला नम्बर 16, 22 से 25 की 1.265 हैक्टर कुल 3.795 हैक्टर वादीगण का बतौर श्री सिद्धकुमार के वारिस ½ हिस्सा के अधिकारी हैं. क्योंकि श्री शिवकुमार के अविवाहित मृत्यु होने के बाद श्री भजनलाल का एक सिद्धकुमार ही पुत्र था जो अपने पिता की भूमि में ½ हिस्सा के अधिकारी हैं. इसलिये वादीगण सिद्धकुमार के वारिस होने के कारण श्री भजनलाल की चल व अचल सम्पत्ति में निस्फ हिस्सा के हकदार हैं. वादीगण अपने अधिकारों की घोषणा करवाकर अपने नाम पर नामान्तरकरण दर्ज करवाने के अधिकारी हैं. चक 1 एच बड़ा के खाता संख्या 46 मुरब्बा नम्बर 2 किला नम्बर 1, 2, 8 से 14, किला नम्बर 16 से 25 कुल 3.64 हैक्टर, मुरब्बा नम्बर 36 किला नम्बर 17 से 19 की 2.405 हैक्टर, मुरब्बा नम्बर 91 किला नम्बर 4, 5, 13, 18, 23 से 25 की 3.72 हैक्टर कुल 11.11 हैक्टर जो भजनलाल के नाम पर है में से ½ हिस्सा जो वादीगण के पिता/पति के नाम है में से वादीगण पूर्णता: अकेले ही हकदार होने के कारण प्रश्नगत कृषि भूमि में अधिकारों की घोषणा करवाकर डिक्री लेने के अधिकारी हैं. वादी संख्या 2 के पति श्री सिद्धकुमार की भूमि के 1/3 हिस्सा का नामान्तरकरण प्रतिवादी संख्या 2 के नाम पर दर्ज किया गया है, वह अवैद्य एवं शून्य है जिसे निरस्त करवाकर वादीगण अपने नाम करवाने के अधिकारी हैं. इस प्रकार वादपत्र डिक्री करने तथा काउण्टरक्लेम निरस्त करने का निवेदन किया गया. जवाबुल जवाब एवं जवाब काउण्टरक्लेम के तथ्यों के समर्थन में माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा विविध दीवानी अपील संख्या 1392/2007 शीर्षक श्रीमती दयावन्ती बनाम सिद्धकुमार में पारित निर्णय दिनांक 28 मार्च, 2017 की प्रमाणित प्रति सलंग्न प्रस्तुत की गयी.

पक्षकारान के मध्य उत्पन्न विवाद के निस्तारण हेतु निम्नलिखित विवाद्यकों का निर्धारण किया गया –

1. क्या वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2, चक 1 एच बड़ा के खाता संख्या 46 मुरब्बा नम्बर 2 किला नम्बर 1, 2, 8 से 14 एवं किला नम्बर 16 से 25 कुल 3.65 हैक्टर, मुरब्बा नम्बर 36 किला नम्बर 11 से 19 में 2.405 हैक्टर, मुरब्बा नम्बर 41 किला नम्बर 4, 5, 13, 18, 23 की 1.075 हैक्टर, मुरब्बा नम्बर 50 किला नम्बर 3 से 13, 18, 23, से 25 में 3.72 हैक्टर एएवं मुरब्बा नम्बर 64/19 में 0.05 हैक्टर खाल कुल 11.11 हैक्टर कृषि भूमि का प्रतिवादी संख्या 2 के नाम दर्ज नामान्तरकरण शून्य घोषित करवाने एवं बहिस्सा बराबर बराबर घोषित करवाने के अधिकारी है? ...वादीगण
2. क्या वादीगण प्रश्नगत कृषि भूमि में अपना हिस्सा घोषित करवाकर विभाजन करवाने के अधिकारी हैं? ...वादीगण

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

A2
37

3. क्या वादीगण प्रश्नगत कृषि भूमि की बाबत प्रतिवादीगण के विरूद्व चक 1 एच एवं 2 एच बड़ा की संयुक्त कृषि भूमि को विभाजन होने तक, बंधक विक्रय अथवा किसी भी प्रकार से खुर्दबुर्द नही करने बाबत स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी हैं?
...वादीगण

4. क्या वादी संख्या 2 श्रीमती दयावन्ती एवं प्रतिवादी संख्या 2 के पुत्र श्री सिद्वकुमार के मध्य न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, श्रीगंगानगर द्वारा प्रकरण संख्या 119/2003 में पारित विवाह विच्छेद की डिक्री दिनांक 15 मार्च, 2007 के परिणामतः वादी संख्या 2 प्रतिवादिया के परिवार की सदस्य ही नहीं है तथा किसी भी प्रकार से प्रश्नगत कृषि भूमि में हिस्सा प्राप्त करने की अधिकारिणी नहीं है? ..प्रतिवादिया

5. क्या प्रतिवादी संख्या 2 चक 2 एच बड़ा तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 70/60 मुरब्बा नम्बर 23 किला नम्बर 16 से 25 की 2.479 हैक्टर एवं मुरब्बा नम्बर 24 किला नम्बर 16, 22 से 25 की 1.265 हैक्टर कुल 3.795 हैक्टर में विवाह विच्छेद की डिक्री दिनांक 15 मार्च, 2007 के परिणामतः राजस्व अभिलेखों में वादी संख्या 2 का नाम विलोपित करवाकर वादी संख्या 1 एवं प्रतिवादिया बहिस्सा बराबर बराबर घोषित करवाने की अधिकारिणी है?
..प्रतिवादी–2

6. क्या प्रतिवादी संख्या 2 चक 1 एच बड़ा के खाता संख्या 46 मुरब्बा नम्बर 2 किला नम्बर 1, 2, 8 से 14, 16 से 25 की 3.64 हैक्टर, मुरब्बा नम्बर 36 किला नम्बर 11 से 19 की 2.405 हैक्टर, मुरब्बा नम्बर 41 के किला नम्बर 4, 5, 13, 18, 23 की 1.075 हैक्टर एवं मुरब्बा नम्बर 50 के किला नम्बर 3, 8, 13 से 18, किला नम्बर 23 से 25 की 3.72 हैक्टर कुल 11.11 हैक्टर कृषि भूमि जो वादी संख्या 2 श्रीमती दयावन्ती के नाम पर 3.704 हैक्टर में ½ हिस्सा दर्ज किया गया है, को निरस्त कर वादी संख्या 1 एवं प्रतिवादी संख्या 2 के नाम पर बहिस्सा बराबर बराबर दर्ज करवाने की अधिकारिणी है?
..प्रतिवादी–2

7. अनुतोष?

प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से आवेदनपत्र दिनांक 13 सितम्बर, 2017 प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार विचाराधीन प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा प्रस्तुत जवाब वादपत्र एवं काउण्टक्लेम में प्रश्नगत कृषि भूमि के मृतक श्री भजनलाल द्वारा स्वःर्जित होने के तथ्य अंकित किये गये हैं. जिसके समर्थन में साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहती है चूंकि अभी तक साक्ष्य प्रारम्भ नहीं हुई है इसलिये प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत करने की आज्ञा के साथ साथ नामान्तकरण महत्वपूर्ण अभिलेख को पत्रावली पर लिया जाना विधिक एवं न्यायकी दृष्टि से आवश्यक होने के कथन कये गये इस प्रकार नामान्तकरण को पत्रावली पर लिये जाने का निवेदन किया गया. आवेदनपत्र के तथ्यों के समर्थन में चक 1 एच बड़ा के नामान्तरकरण संख्या 7 की

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

A2
38

प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न प्रस्तुत की गयी. .जिस पर वादीगण अधिवक्ता द्वारा अनापत्ति हस्ताक्षरित करने पर आदेश दिनांक 3 अक्तूबर, 2017 द्वारा आवेदनपत्र स्वीकार किया गया तथा नामान्तरकरण संख्या 7 की प्रमाणित प्रतिलिपि को पत्रावली पर लिया गया.

साक्ष्य वादी हेतु श्री अभय चौधरी द्वारा उपस्थित आकर प्रमाणित शपथपत्र प्रस्तुत किया गया जिससे जिरह की गयी तथा अन्य साक्ष्य वादी प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 13 नवम्बर, 2017 को अन्तिम अवसर, दिनांक 24 नवम्बर, 2017 को राशि 200.00 कॉस्ट पर पुनः अन्तिम अवसर, दिनांक 7 दिसम्बर, 2017 को पुनः प्रतिवादी अधिवक्ता की सहमति से अवसर दिया गया जिस पर भी अन्य साक्ष्य वादी प्रस्तुत नही किये जाने के परिणामतः आदेश दिनांक 21 दिसम्बर, 2017 को अन्य वादी वादी बन्द तथा साक्ष्य वादी पूर्ण की गयी. साक्ष्य प्रतिवादी हेतु श्रीमती विजयलक्ष्मी एवं श्री सुरेन्द्रकुमार द्वारा उपस्थित आकर प्रमाणित शपथपत्र प्रस्तुत किये गये. जिनसे जिरह की जाकर साक्ष्य प्रतिवादी पूर्ण की गयी. अभिलेख चक 1 एच बड़ा की जमाबन्दी सम्बत् 2067–2070**(प्रदर्श–1)**, चक 2 एच बड़ा की जमाबन्दी सम्बत् 2068–2071**(प्रदर्श–2)**, मा. न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, श्रीगंगानगर द्वारा पारित निर्णय एवं विवाह विच्छेद की डिक्री दिनांक 15 मार्च, 2007**(प्रदर्श–डी 1)**, चक 1 एच बड़ा के नामान्तरकरण संख्या 16**(प्रदर्श–डी 2)**, चक 1 एच बड़ा के नामान्तरकरण संख्या 7**(प्रदर्श–डी 3)**, चक 1 एच बड़ा के नामान्तरकरण संख्या 98**(प्रदर्श–डी 4)**, चक 1 एच बड़ा के नामान्तरकरण संख्या 97**(प्रदर्श–डी 5)**, चक 1 एच बड़ा के नामान्तरकरण संख्या 280**(प्रदर्श–डी 6)**, चक 1 एच बड़ा के नामान्तरकरण संख्या 108**(प्रदर्श–डी 7)**, नामान्तरकरण संख्या 111**(प्रदर्श–डी 8)** की प्रमाणित प्रतियां, अध्यक्ष, जल संसाधन(गंगनहर), जल उपभोक्ता संगम द्वारा बाराबन्दी पर्ची चक 1 एच बड़ा वर्ष 2014**(प्रदर्श–डी 9)**, अध्यक्ष, जल संसाधन(गंगनहर), जल उपभोक्ता संगम द्वारा बाराबन्दी पर्ची चक 1 एच बड़ा वर्ष 2014–15**(प्रदर्श–डी 10)**, संशोधित बाराबन्दी दिनांक 16 नवम्बर, 2009**(प्रदर्श–डी 11)**, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा सिविल विविध अपील संख्या 1393/2007 शीर्षक श्रीमती दयावन्ती बनाम सिद्धकुमार में पारित आदेश दिनांक 28 मार्च, 2017**(प्रदर्श–डी 12)**, सदर मुन्सरिक भू–प्रबन्ध विभाग, बीकानेर द्वारा जारी खसरा परिशोधन पत्र संख्या 7**(प्रदर्श–डी 13)** प्रदर्श किये गये.

अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत बहस सुनी गयी.

पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं प्रस्तुत अभिलेखीय साक्ष्यो का अवलोकन करते हुऐ प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया.

विवाद्यक संख्या 1 – क्या वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2, चक 1 एच बड़ा के खाता संख्या 46 मुरब्बा नम्बर 2 किला नम्बर 1, 2, 8 से 14 एवं किला नम्बर 16 से 25 कुल 3.65 हैक्टर, मुरब्बा नम्बर 36 किला नम्बर 11 से 19 में 2.405 हैक्टर, मुरब्बा नम्बर 41 किला नम्बर 4, 5, 13, 18, 23 की 1.075 हैक्टर, मुरब्बा नम्बर 50 किला नम्बर 3 से 13, 18, 23 से 25 में 3.72 हैक्टर एवं मुरब्बा नम्बर 64/19 में 0.05 हैक्टर खाल कुल 11.11 हैक्टर कृषि भूमि का प्रतिवादी

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

A2
39

संख्या 2 के नाम दर्ज नामान्तरकरण शून्य घोषित करवाने एवं बहिस्सा बराबर बराबर घोषित करवाने के अधिकारी है?

...वादीगण

चक 1 एच बड़ा की जमाबन्दी सम्बत् 2067–2070(प्रदर्श–1) के अनुसार चक 1 एच बड़ा के खाता संख्या 46 मुरब्बा नम्बर 2 किला नम्बर 1, 2, 8 से 14 एवं किला नम्बर 16 से 25 कुल 3.65 हैक्टर, मुरब्बा नम्बर 36 किला नम्बर 11 से 19 में 2.405 हैक्टर, मुरब्बा नम्बर 41 किला नम्बर 4, 5, 13, 18, 23 की 1.075 हैक्टर, मुरब्बा नम्बर 50 किला नम्बर 3 से 13, 18, 23, से 25 में 3.72 हैक्टर एवं मुरब्बा नम्बर 64/19 में 0.05 हैक्टर खाल कुल 11.11 हैक्टर कृषि भूमि स्व. श्री भजनलाल आत्मज श्री बालूराम के नाम पर दर्ज रही है. श्री भजनलाल की दिनांक 01 मार्च, 2016 को मृत्यु हो चुकी है. बहस में प्रस्तुत तथ्यों के अनुसार श्री शिवकुमार की मृत्यु सन् 2007 में अपने पिता के जीवनकाल में ही अविवाहित अवस्था में हो गयी. श्री भजनलाल की मृत्यु निर्वसीयती हुई है जिनके हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार तीन वारिसान क्रमशः श्रीमती विजयलक्ष्मी धर्मपत्नी, श्री शिवकुमार पुत्र एवं श्री सिद्वकुमार पुत्र रहे हैं. जिनकी बाबत प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा साक्ष्य स्वरूप प्रस्तुत प्रमाणित शपथपत्र की जिरह में तथ्य प्रस्तुत किये गये हैं कि पूर्व में सारी जमीन तीन हिस्सों में अपने बेटों के साथ बांट रखी थी. जिसकी बाबत वादी संख्या 1 द्वारा साक्ष्य स्वरूप प्रमाणित शपथपत्र की जिरह में अथवा तत्पश्चात किसी भी प्रकार से खण्डन नहीं किया गया. इस प्रकार कुल कृषि भूमि को तीन हिस्सों अर्थात श्री भजनलाल स्वयं, श्री शिवकुमार पुत्र एवं श्री सिद्वकुमार पुत्र प्रत्येक में 1/3 हिस्सा बांटी गयी. तत्पश्चात, श्री शिवकुमार की अविवाहित अवस्था में ही मृत्यु होने के कारण उसके हिस्सा की 1/3 हिस्सा कृषि भूमि की उसकी माता अर्थात प्रतिवादी संख्या 2 श्रीमती विजयलक्ष्मी ही प्रथम श्रेणी की उत्तराधिकारिणी है. श्री भजनलाल की मृत्योपरान्त उनके 1/3 कृषि भूमि के श्री सिद्वकुमार पुत्र एवं प्रतिवादी संख्या 2 श्रीमती विजयलक्ष्मी प्रत्येक निस्फ हिस्सा के अधिकारी हुऐ. इस प्रकार श्री सिद्वकुमार अपने स्वयं के 1/3 हिस्सा के साथ साथ अपने मृतक पिता के हिस्सा की 1/3 हिस्सा में से निस्फ हिस्सा का हकदार रहा है. वादीगण के पिता/पति श्री सिद्वकुमार एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती दयावन्ती (वादी संख्या 2) के मध्य मा. न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, श्रीगंगानगर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15 मार्च, 2007 एवं विवाह विच्छेद की डिक्री **(प्रदर्श–डी 1)** के अनुसार श्री सिद्वकुमार एवं श्रीमती दयावन्ती के मध्य विवाह विच्छेद हो गया जिसके विरूद्व श्रीमती दयावन्ती द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष सिविल विविध अपील संख्या 1392/2007 शीर्षक श्रीमती दयावन्ती बनाम सिद्वकुमार प्रस्तुत की गयी जिसके विचारणकाल में ही श्री सिद्वकुमार की मृत्यु होने के परिणामतः माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित अपने आदेश दिनांक 28 मार्च, 2017 में स्पष्ट किया गया कि 'यदि अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी के वैवाहिक सम्बन्धों से कोई संतान उत्पन्न हुई है तो उक्त संतान के अधिकार वर्तमान अपील के निस्तारण से प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं होंगे बल्कि कानून में प्राप्त अधिकारों के तहत उनकी सन्तान एवं सम्बन्धित पक्ष नियमानुसार उपचार प्राप्त करने के अधिकारी होंगे'. इस प्रकार चूंकि मा. न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, श्रीगंगानगर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15 मार्च, 2007 एवं विवाह विच्छेद की डिक्री निर्विवाद रूप से अन्तिम हो चुकी है इसलिये वादी

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

संख्या 2 का परिवार से सम्बन्ध समाप्त होने के कारण प्रश्नगत कृषि भूमि में किसी भी प्रकार का हिस्सा प्राप्त करने की अधिकारिणी नही है इसके विपरीत, श्री सिद्वकुमार एवं श्रीमती दयावन्ती के वैवाहिक सम्बन्धों के परिणामतः उत्पन्न सन्तान वादी संख्या 1 अपने पैतृक अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी है. इसी दृष्टिकोण से, श्री सिद्वकुमार के नाम से दर्ज श्री भजनलाल की कुल सम्पत्ति के 1/3 हिस्सा स्वरूप श्री सिद्वकुमार के नाम पर दर्ज चक 2 एच बड़ा तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 70/60 मुरब्बा नम्बर 23 किला नम्बर 16 से 25 की 2.479 हैक्टर एवं मुरब्बा नम्बर 24 किला नम्बर 16, 22 से 25 की 1.265 हैक्टर कुल 3.795 हैक्टर कृषि भूमि के वर्तमान में भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार श्रीमती विजयलक्ष्मी, माता(प्रतिवादी संख्या 2) एवं श्री अभय चौधरी(वादी संख्या 1) प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारी होने के कारण समभाग प्राप्त करने के अधिकारी हैं. उक्त विवेचना के अनुसार चक 1 एच बड़ा के खाता संख्या 46 मुरब्बा नम्बर 2 किला नम्बर 1, 2, 8 से 14 एवं किला नम्बर 16 से 25 कुल 3.65 हैक्टर, मुरब्बा नम्बर 36 किला नम्बर 11 से 19 में 2.405 हैक्टर, मुरब्बा नम्बर 41 किला नम्बर 4, 5, 13, 18, 23 की 1.075 हैक्टर, मुरब्बा नम्बर 50 किला नम्बर 3 से 13, 18, 23, से 25 में 3.72 हैक्टर एवं मुरब्बा नम्बर 64/19 में 0.05 हैक्टर खाल कुल 11.11 हैक्टर कृषि भूमि में से श्री भजनलाल के 1/3 हिस्सा में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 बहिस्सा बराबर बराबर प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है, इस प्रकार विवाद्यक संख्या 1 वादीगण के विरूद्व विनिश्चित किया जाता है.

विवाद्यक संख्या 2 – क्या वादीगण प्रश्नगत कृषि भूमि में अपना हिस्सा घोषित करवाकर विभाजन करवाने के अधिकारी हैं?

...**वादीगण**

विवाद्यक संख्या 1 की विवेचना के अनुसार वादी संख्या 2 विवाह विच्छेद की डिक्री के बाद किसी भी प्रकार से किसी भी प्रकार का हिस्सा प्राप्त करने की अधिकारिणी नहीं है. इसके विपरीत, वादी संख्या 1 अपने पिता मृतक श्री सिद्वकुमार के नाम पर दर्ज चक 2 एच बड़ा तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 70/60 मुरब्बा नम्बर 23 किला नम्बर 16 से 25 की 2.479 हैक्टर एवं मुरब्बा नम्बर 24 किला नम्बर 16, 22 से 25 की 1.265 हैक्टर कुल 3.795 हैक्टर कृषि भूमि में से निस्फ हिस्सा एवं मृतक श्री भजनलाल के 1/3 हिस्सा में से निस्फ हिस्सा प्राप्त करने का ही अधिकारी एवं तदानुसार विभाजन करवाने का अधिकारी है. इस प्रकार विवाद्यक संख्या 2 वादी संख्या 1 के पक्ष में विनिश्चित किया जाता है.

विवाद्यक संख्या 3 – क्या वादीगण प्रश्नगत कृषि भूमि की बाबत प्रतिवादीगण के विरूद्व चक 1 एच एवं 2 एच बड़ा की संयुक्त कृषि भूमि को विभाजन होने तक, बंधक विक्रय अथवा किसी भी प्रकार से खुर्दबुर्द नही करने बाबत स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी हैं? ...**वादीगण**

चूंकि वादी संख्या 1 अपने पिता मृतक श्री सिद्वकुमार के नाम पर दर्ज चक 2 एच बड़ा तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 70/60 मुरब्बा नम्बर 23 किला नम्बर 16 से 25 की 2.479 हैक्टर एवं मुरब्बा नम्बर 24 किला नम्बर 16, 22 से 25 की 1.265 हैक्टर कुल 3.795

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक दण्डनायक (फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

A2
41

हैक्टर कृषि भूमि में से निस्फ हिस्सा एवं मृतक श्री भजनलाल के 1/3 हिस्सा में से निस्फ हिस्सा प्राप्त करने का ही अधिकारी एवं तदानुसार विभाजन करवाने का अधिकारी है. इसलिये संयुक्त कृषि भूमि के विधिवत विभाजन से पूर्व प्रतिवादी संख्या 2 के विरूद्व चक 1 एच एवं 2 एच बड़ा की संयुक्त कृषि भूमि को बंधक, विक्रय अथवा किसी भी प्रकार से खुर्दबुर्द नही करने बाबत स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है इस प्रकार विवाद्यक संख्या 3 वादी संख्या 1 के पक्ष में विनिश्चित किया जाता है.

विवाद्यक संख्या 4 – क्या वादी संख्या 2 श्रीमती दयावन्ती एवं प्रतिवादी संख्या 2 के पुत्र श्री सिद्वकुमार के मध्य न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, श्रीगंगानगर द्वारा प्रकरण संख्या 119/2003 में पारित विवाह विच्छेद की डिक्री दिनांक 15 मार्च, 2007 के परिणामतः वादी संख्या 2 प्रतिवादिया के परिवार की सदस्य ही नहीं है तथा किसी भी प्रकार से प्रश्नगत कृषि भूमि में हिस्सा प्राप्त करने की अधिकारिणी नहीं है? **..प्रतिवादिया**

वादी संख्या 2 श्रीमती दयावन्ती एवं प्रतिवादी संख्या 2 के पुत्र श्री सिद्वकुमार के मध्य मा. न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, श्रीगंगानगर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15 मार्च, 2007 एवं विवाह विच्छेद की डिक्री **(प्रदर्श–डी 1)** के अनुसार श्री सिद्वकुमार एवं श्रीमती दयावन्ती के मध्य विवाह विच्छेद हो गया जिसके विरूद्व श्रीमती दयावन्ती द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष सिविल विविध अपील संख्या 1392/2007 शीर्षक श्रीमती दयावन्ती बनाम सिद्वकुमार प्रस्तुत की गयी जिसके विचारणकाल में ही श्री सिद्वकुमार की मृत्यु होने के परिणामतः माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित अपने आदेश दिनांक 28 मार्च, 2017 में स्पष्ट किया गया कि 'यदि अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी के वैवाहिक सम्बन्धों से कोई संतान उत्पन्न हुई है तो उक्त संतान के अधिकार वर्तमान अपील के निस्तारण से प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं होंगे बल्कि कानून में प्राप्त अधिकारों के तहत उनकी सन्तान एवं सम्बन्धित पक्ष नियमानुसार उपचार प्राप्त करने के अधिकारी होंगे'. इस प्रकार चूंकि मा. न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, श्रीगंगानगर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15 मार्च, 2007 एवं विवाह विच्छेद की डिक्री निर्विवाद रूप से अन्तिम हो चुकी है इसलिये वादी संख्या 2 का परिवार से सम्बन्ध समाप्त होने के कारण प्रश्नगत कृषि भूमि में किसी भी प्रकार का हिस्सा प्राप्त करने की अधिकारिणी नही है. इस प्रकार विवाद्यक संख्या 4 प्रतिवादी संख्या 2 के पक्ष में विनिश्चित किया जाता है.

विवाद्यक संख्या 5 – क्या प्रतिवादी संख्या 2 चक 2 एच बड़ा तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 70/60 मुरब्बा नम्बर 23 किला नम्बर 16 से 25 की 2.479 हैक्टर एवं मुरब्बा नम्बर 24 किला नम्बर 16, 22 से 25 की 1.265 हैक्टर कुल 3.795 हैक्टर में विवाह विच्छेद की डिक्री दिनांक 15 मार्च, 2007 के परिणामतः राजस्व अभिलेखों में वादी संख्या 2 का नाम विलोपित करवाकर वादी संख्या 1 एवं प्रतिवादिया बहिस्सा बराबर बराबर घोषित करवाने की अधिकारिणी है? **..प्रतिवादी–2**

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक दण्डनायक (फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

A2
42

वादी संख्या 2 श्रीमती दयावन्ती एवं प्रतिवादी संख्या 2 के पुत्र श्री सिद्वकुमार के मध्य मा. न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, श्रीगंगानगर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15 मार्च, 2007 एवं विवाह विच्छेद की डिक्री **(प्रदर्श–डी 1)** के अनुसार श्री सिद्वकुमार एवं श्रीमती दयावन्ती के मध्य विवाह विच्छेद हो गया जिसके विरूद्व श्रीमती दयावन्ती द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष सिविल विविध अपील संख्या 1392/2007 शीर्षक श्रीमती दयावन्ती बनाम सिद्वकुमार प्रस्तुत की गयी जिसके विचारणकाल में ही श्री सिद्वकुमार की मृत्यु होने के परिणामतः माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित अपने आदेश दिनांक 28 मार्च, 2017 में स्पष्ट किया गया कि 'यदि अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी के वैवाहिक सम्बन्धों से कोई संतान उत्पन्न हुई है तो उक्त संतान के अधिकार वर्तमान अपील के निस्तारण से प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं होंगे बल्कि कानून में प्राप्त अधिकारों के तहत उनकी सन्तान एवं सम्बन्धित पक्ष नियमानुसार उपचार प्राप्त करने के अधिकारी होंगे'. इस प्रकार चूंकि मा. न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, श्रीगंगानगर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15 मार्च, 2007 एवं विवाह विच्छेद की डिक्री निर्विवाद रूप से अन्तिम हो चुकी है इसलिये वादी संख्या 2 का परिवार से सम्बन्ध समाप्त होने के कारण प्रश्नगत कृषि भूमि में किसी भी प्रकार का हिस्सा प्राप्त करने की अधिकारिणी नही है. किन्तु हिन्दु उत्तराधिकारी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार मृतक श्री सिद्वकुमार के नाम पर दर्ज कुल सम्पत्ति के 1/3 हिस्सा के अनुरूप चक 2 एच बड़ा तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 70/60 मुरब्बा नम्बर 23 किला नम्बर 16 से 25 की 2.479 हैक्टर एवं मुरब्बा नम्बर 24 किला नम्बर 16, 22 से 25 की 1.265 हैक्टर कुल 3.795 हैक्टर कृषि भूमि के लिये वादी संख्या 1 एवं प्रतिवादी संख्या 2 समभाग प्राप्त करने के अधिकारी हैं, ऐसी स्थिति में, प्रतिवादी संख्या 2 चक 2 एच बड़ा तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 70/60 मुरब्बा नम्बर 23 किला नम्बर 16 से 25 की 2.479 हैक्टर एवं मुरब्बा नम्बर 24 किला नम्बर 16, 22 से 25 की 1.265 हैक्टर कुल 3.795 हैक्टर में विवाह विच्छेद की डिक्री दिनांक 15 मार्च, 2007 के परिणामतः राजस्व अभिलेखों में वादी संख्या 2 का नाम विलोपित करवाकर वादी संख्या 1 एवं प्रतिवादिया बहिस्सा बराबर बराबर घोषित करवाने की अधिकारिणी होने के कारण विवाद्यक संख्या 5 प्रतिवादी संख्या 2 के पक्ष में विनिश्चित किया जाता है.

विवाद्यक संख्या 6 – क्या प्रतिवादी संख्या 2 चक 1 एच बड़ा के खाता संख्या 46 मुरब्बा नम्बर 2 किला नम्बर 1, 2, 8 से 14, 16 से 25 की 3.64 हैक्टर, मुरब्बा नम्बर 36 किला नम्बर 11 से 19 की 2.405 हैक्टर, मुरब्बा नम्बर 41 के किला नम्बर 4, 5, 13, 18, 23 की 1.075 हैक्टर एवं मुरब्बा नम्बर 50 के किला नम्बर 3, 8, 13 से 18, किला नम्बर 23 से 25 की 3.72 हैक्टर कुल 11.11 हैक्टर कृषि भूमि जो वादी संख्या 2 श्रीमती दयावन्ती के नाम पर 3.704 हैक्टर में ½ हिस्सा दर्ज किया गया है, को निरस्त कर वादी संख्या 1 एवं प्रतिवादी संख्या 2 के नाम पर बहिस्सा बराबर बराबर दर्ज करवाने की अधिकारिणी है? **..प्रतिवादी–2**

विवाद्यक संख्या 1 से 5 की विवेचना के अनुसार चूंकि वादी संख्या 2 श्रीमती दयावन्ती का विवाह विच्छेद की डिक्री के परिणामतः किसी भी

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रैक) श्रीगंगानगर

A2
43

प्रकार की कृषि भूमि में कोई हिस्सा व अधिकार उपलब्ध नहीं है इसलिये चक 1 एच बड़ा एवं चक 2 एच बड़ा स्थित कृषि भूमि की बाबत राजस्व अभिलेखों में वादी संख्या 2 का दर्ज नाम को विलोपित किया जाकर मृतक श्री भजनलाल के 1/3 हिस्सा में से ½ हिस्सा, मृतक श्री सिद्धकुमार के नाम पर उसके 1/3 हिस्सा की दर्ज कृषि चक 2 एच बड़ा की 3.795 हैक्टर में से ½ हिस्सा के लिये वादी संख्या 1 एवं श्री भजनलाल के 1/3 हिस्सा में से ½ हिस्सा मृतक श्री सिद्धकुमार के नाम पर उसके 1/3 हिस्सा की दर्ज कृषि चक 2 एच बड़ा की 3.795 हैक्टर में से ½ हिस्सा एवं मृतक श्री शिवकुमार के 1/3 हिस्सा के लिये श्रीमती विजयलक्षमी (प्रतिवादी संख्या 2) अधिकारी होने के कारण राजस्व अभिलेखों में श्रीमती दयावन्ती (वादी संख्या 2) का नाम विलोपित कर यथा राजस्व अभिलेखो में वादी संख्या 1 एवं प्रतिवादी संख्या 2 अपना नाम दर्ज करवाने के अधिकारी होने के परिणामताः विवाद्यक संख्या 6 प्रतिवादी संख्या 2 के पक्ष में विनिश्चित किया जाता है.

विवाद्यकों की विवेचना के अनुसार चक 1 एच बड़ा तहसील जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 46 मुरब्बा नम्बर 2 किला नम्बर 1, 2, 8 से 14, किला नम्बर 16 से 25 कुल 3.640 हैक्टर, मुरब्बा नम्बर 36 किला नम्बर 11 से 19 की 2.405 हैक्टर, मुरब्बा नम्बर 41 किला नम्बर 4 5, 13, 18, 23 की 1.075 हैक्टर, मुरब्बा नम्बर 50 किला नम्बर 3 से 13 से 18, किला नम्बर 23 से 25 की 3.720 एवं मुरब्बा नम्बर 64/19 में 0.050 हैक्टर खाल कुल 11.11 हैक्टर कृषि भूमि में मृतक श्री भजनलाल के 1/3 हिस्सा में से ½ हिस्सा, मृतक श्री सिद्धकुमार के नाम पर उसके 1/3 हिस्सा की दर्ज चक 2 एच बड़ा तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 70/60 मुरब्बा नम्बर 23 किला नम्बर 16 से 25 की 2.479 हैक्टर एवं मुरब्बा नम्बर 24 किला नम्बर 16, 22 से 25 की 1.265 हैक्टर कुल 3.795 हैक्टर कृषि भूमि में से ½ हिस्सा के लिये वादी संख्या 1 श्री अभय चौधरी एवं श्री भजनलाल के 1/3 हिस्सा में से ½ हिस्सा मृतक श्री सिद्धकुमार के नाम पर उसके 1/3 हिस्सा की दर्ज कृषि चक 2 एच बड़ा की 3.795 हैक्टर में से ½ हिस्सा एवं मृतक श्री शिवकुमार के 1/3 हिस्सा के लिये श्रीमती विजयलक्षमी (प्रतिवादी संख्या 2) हकदार घोषित करने एवं विभाजन करवाने के अधिकारी घोषित किये गये. अतः वादपत्र आंशिक रूप से एवं काउण्टर क्लेम स्वीकार किया जाकर **वादी संख्या 1 श्री अभय चौधरी** को – चक 1 एच बड़ा तहसील जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 46 मुरब्बा नम्बर 2 किला नम्बर 1, 2, 8 से 14, किला नम्बर 16 से 25 कुल 3.640 हैक्टर, मुरब्बा नम्बर 36 किला नम्बर 11 से 19 की 2.405 हैक्टर, मुरब्बा नम्बर 41 किला नम्बर 4 5, 13, 18, 23 की 1.075 हैक्टर, मुरब्बा नम्बर 50 किला नम्बर 3 से 13 से 18, किला नम्बर 23 से 25 की 3.720 एवं मुरब्बा नम्बर 64/19 में 0.050 हैक्टर खाल कुल 11.11 हैक्टर कृषि भूमि में 1/6 हिस्सा मृतक श्री सिद्धकुमार के नाम पर उसके 1/3 हिस्सा की दर्ज चक 2 एच बड़ा तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 70/60 मुरब्बा नम्बर 23 किला नम्बर 16 से 25 की 2.479 हैक्टर एवं मुरब्बा नम्बर 24 किला नम्बर 16, 22 से 25 की 1.265 हैक्टर कुल 3.795 हैक्टर कृषि भूमि में से ½ हिस्सा अर्थात चक 1 एच बड़ा स्थिति कृषि भूमि में 1/6 हिस्सा एतद्द्वारा 1.8520 हैक्टर एवं श्री सिद्धकुमार के नाम पर दर्ज चक 2 एच बड़ा की कृषि भूमि में ½ हिस्सा एतद्द्वारा 1.8975 हैक्टर **कुल 3.7495 हैक्टर** कृषि भूमि)

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

A2
44

एवं **प्रतिवादी संख्या 2 श्रीमती विजयलक्ष्मी को** – चक 1 एच बड़ा तहसील जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 46 मुरब्बा नम्बर 2 किला नम्बर 1, 2, 8 से 14, किला नम्बर 16 से 25 कुल 3.640 हैक्टर, मुरब्बा नम्बर 36 किला नम्बर 11 से 19 की 2.405 हैक्टर, मुरब्बा नम्बर 41 किला नम्बर 4 5, 13, 18, 23 की 1.075 हैक्टर, मुरब्बा नम्बर 50 किला नम्बर 3 से 13 से 18, किला नम्बर 23 से 25 की 3.720 एवं मुरब्बा नम्बर 64/19 में 0.050 हैक्टर खाल कुल 11.11 हैक्टर कृषि भूमि में मृतक श्री भजनलाल, मृतक श्री शिवकुमार के हिस्सा एवं मृतक श्री सिद्वकुमार के नाम दर्ज चक 2 एच बड़ा की 3.795 हैक्टर में से ½ हिस्सा एतद्द्वारा चक 1 एच बड़ा की 9.258 हैक्टर एवं चक 2 एच बड़ा की कुल 1.8975 हैक्टर कृषि भूमि **कुल 11.155 हैक्टर कृषि भूमि** का खातेदार घोषित किया जाता है तथा यथा विभाजन करवाने का अधिकारी घोषित किया जाता है. तहसीलदार(राजस्व), श्रीगंगानगर द्वारा पृष्ठांकन संख्या 77 दिनांक 09 मई, 2018 द्वारा कैम्प–मदेरां में विभाजन प्रस्ताव, नजरी नक्शा, पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन, चक 1 एच बड़ा के राजस्व अभिलेख जमाबन्दी सम्बत् 2067–2070 एवं माननीय राजस्व मण्डल राज., अजमेर द्वारा जारी पत्र दिनांक 20 जून, 2018 की प्रति प्रस्तुत किये गये. माननीय राजस्व मण्डल राज., अजमेर द्वारा जारी पत्र दिनांक 20 जून, 2018 के अनुसार विविध पत्रावली में दिनांक 16 जनवरी, 2018 को जारी स्थगन आदेश की अवधि दिनांक 20 जून, 2018 तक बढायी गयी है. माननीय राजस्व मण्डल राज., अजमेर द्वारा जारी पत्र दिनांक 21 मई, 2018 के सलंग्न निगरानी संख्या 260/2018 शीर्षक अभय चौधरी व अन्य बनाम श्रीमती विजयलक्ष्मी व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 16 मई, 2018 जिसके अनुसार निगरानी खारिज की गयी.

वादीगण अधिवक्ता द्वारा प्रारम्भिक आपत्ति अन्तर्गत नियम 18 से 21 दिनांक 29 मई, 2018 प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार उक्त शीर्षक के प्रकरण में आदेशों की पालना में प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार द्वारा तैयार नहीं किया गया बल्कि केवल भू–अ. निरीक्षक एवं पटवारी हल्का द्वारा तैयार किया गया है किन्तु नियम 18 से 21 के अनुसार नहीं किया गया. उक्त नियम के अन्तर्गत प्रस्ताव तैयार किया जाता तो सभी पक्षकारान को नोटिस दिया जाता पक्षकारों की उपस्थिति में अच्छी से अच्छी एवं माड़ी से माड़ी भूमि की गणना की जाती और हिस्सा के अनुसार अच्छी से अच्छी एवं माड़ी से माड़ी हिस्सेदारों को प्रस्ताव बना कर भेजा जाता. उक्त प्रकरण में अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा न तो कोई नक्शा बनाया गया है व न ही कौन सी जमीन अच्छी है, कौन सी जमीन माड़ी है, कौन सी जमीन मुढ पर पडती है कौन सी जमीन टेल पर है इसकी अलग से कोई रिपोर्ट तैयार नहीं की गयी न ही मौका पर जाकर कोई नक्शा बनाया गया है. केवल पटवारी, गिरदावर ने घर बैठकर प्रस्ताव तैयार किया है जो नियम 18 से 21 के मुताबिक नहीं है. यदि अच्छी भूमि दोनों पक्ष लेना चाहते हैं तो इसका ऑक्शन करवाया जाता है. इस प्रकार अन्तिम प्रस्ताव नियम 18 से 21 के अनुसार नही बनाया गया. इसलिये प्रस्तुत प्रस्ताव को निरस्त कर पुनः प्रस्ताव तहसीलदार(राजस्व) द्वारा मौका पर जाकर पक्षकारान की मौजूदगी में बनाये जाने के निर्देश दिया जाना इन्साफ की दृष्टि से आवश्यक है. इस प्रकार तहसीलदार(राजस्व) से पुनः प्रस्ताव मंगवाये जाने का निवेदन किया गया.

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

A2
45

प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा जवाब प्रारम्भिक आपत्ति प्रस्तुत नहीं किया गया.

विभाजन प्रस्ताव पर अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत बहस सुनी गयी.

तहसीलदार(राजस्व), श्रीगंगानगर द्वारा पृष्ठांकन संख्या 77 दिनांक 09 मई, 2018 द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव के सलंग्न राजस्व अधिकारियों द्वारा तैयार एवं प्रमाणित नजरी नक्शा सलंग्न प्रस्तुत किया गया है. मौका पर तैयार फर्द मौका के अनुसार वादी संख्या 1 श्री अभय चौधरी को मोबाईल नम्बर 97999 78888 पर मौका पर उपस्थित आने हेतु कहे जाने के बाद भी वादी संख्या 1 श्री अभय चौधरी मौका पर उपस्थित नहीं आया. तथा फर्द मौका उपस्थित मौतबिरान के समक्ष तैयार किया गया है जिस पर उपस्थित मौतबिरान के हस्ताक्षर एवं उनके आधार कार्ड के नम्बर अंकित किये गये हैं. ऐसी परिस्थिति में, प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव नियम 18 से 21 के उपबन्धों के अनुसार ही प्रस्तुत किया जाना पाया जाने के परिणामतः आपत्तियां निरस्त की जाती है.

।। आदेश ।।

अतः विभाजन प्रस्ताव दिनांक 09 मई, 2018 के अनुरूप ही, **वादी श्री अभय चौधरी आत्मज श्री सिद्धकुमार, जाट को** – चक 2 एच बड़ा तहसील व जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 23 किला नम्बर 23(0.127) हैक्टर किला नम्बर 24 एवं 25 सालम, मुरब्बा नम्बर 24 किला नम्बर 16, किला नम्बर 22 से 25 की कुल 1.898 हैक्टर एवं चक नम्बर 1 एच बड़ा के मुरब्बा नम्बर 50 किला नम्बर 7(0.248) हैक्टर, किला नम्बर 8(0.253) हैक्टर, किला नम्बर 13, 18(1.518) हैक्टर एवं किला नम्बर 23, 25(0.759) हैक्टर एवं **प्रतिवादी संख्या 2 श्रीमती विजयलक्ष्मी धर्मपत्नी श्री भजनलाल, जाट को** – चक 2 एच बड़ा तहसील व जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 23 किला नम्बर 16 से 19, किला नम्बर 20(0.228) हैक्टर, किला नम्बर 21(0.227) हैक्टर, किला नम्बर 22(0.253) हैक्टर, किला नम्बर 23(0.126) हैक्टर, मुरब्बा नम्बर 87/6(0.051) हैक्टर खाला, चक 1 एच बड़ा तहसील व जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 2 में 3.640 हैक्टर क्षेत्रफल, मुरब्बा नम्बर 3 किला नम्बर 21(0.025) हैक्टर, मुरब्बा नम्बर 36 में 2.405 हैक्टर, मुरब्बा नम्बर 41 में 1.075 हैक्टर, मुरब्बा नम्बर 50 किला नम्बर 3(0.228) हैक्टर, किला नम्बर 4(0.228) हैक्टर, किला नम्बर 5(0.228) हैक्टर, किला नम्बर 6(0.253) हैक्टर, किला नम्बर 7(0.005) हैक्टर, किला नम्बर 64/10(0.126) हैक्टर खाला, किला नम्बर 64/14(0.069) हैक्टर खाला, किला नम्बर 64/19(0.050) हैक्टर खाला का खातेदार घोषित किया जाता है. यथा डिक्री जारी हो.

निर्णय कैम्प– चक 18 जी.जी. में आज दिनांक 1 जून, 2018 को सुनाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया.

(यशपाल आहूजा)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीगंगानगर

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

A2
46

अन्तिम डिक्री

(order 20 rule 6-7 CPC)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी – यशपाल आहूजा, R.A.S.

1. अभय चौधरी आत्मज श्री सिद्वकुमार, जाट, चक 1 एच बड़ा मदेरां, तहसील व जिला श्रीगंगानगर एवं
2. श्रीमती दयावन्ती धर्मपत्नी श्री सिद्वकुमार, जाट, चक 1 एच बड़ा मदेरां, तहसील व जिला श्रीगंगानगर.

.....वादीगण

बनाम

1. राज्य सरकार द्वारा तहसीलदार(राजस्व), श्रीगंगानगर.
2. श्रीमती विजयलक्ष्मी धर्मपत्नी श्री भजनलाल, जाट, चक 1 एच बड़ा मदेरां तहसील व जिला श्रीगंगानगर

.....प्रतिवादीगण

वादपत्र संख्या 25/2017
अन्तर्गत धारा 88,53 राज. काश्तकारी अधिनियम

प्रकरण में न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर द्वारा वादीगण अधिवक्ता श्री तेजासिंह, श्री विरेन्द्र सिहाग प्रतिवादी संख्या 2 एवं पैरोकार राज (प्रतिवादी–1) की उपस्थिति में आदेश दिया जाता है कि –

वादी श्री अभय चौधरी आत्मज श्री सिद्वकुमार, जाट को – चक 2 एच बड़ा तहसील व जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 23 किला नम्बर 23(0.127) हैक्टर किला नम्बर 24 एवं 25 सालम, मुरब्बा नम्बर 24 किला नम्बर 16, किला नम्बर 22 से 25 की कुल 1.898 हैक्टर एवं चक नम्बर 1 एच बड़ा के मुरब्बा नम्बर 50 किला नम्बर 7(0.248) हैक्टर, किला नम्बर 8(0.253) हैक्टर, किला नम्बर 13, 18(1.518) हैक्टर एवं किला नम्बर 23, 25(0.759) हैक्टर एवं **प्रतिवादी संख्या 2 श्रीमती विजयलक्षमी धर्मपत्नी श्री भजनलाल, जाट को** – चक 2 एच बड़ा तहसील व जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 23 किला नम्बर 16 से 19, किला नम्बर 20(0.228) हैक्टर, किला नम्बर 21(0.227) हैक्टर, किला नम्बर 22(0.253) हैक्टर, किला नम्बर 23(0.126) हैक्टर, मुरब्बा नम्बर 87/6(0.051) हैक्टर खाला, चक 1 एच बड़ा तहसील व जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 2 में 3.640 हैक्टर क्षेत्रफल, मुरब्बा नम्बर 3 किला नम्बर 21(0.025) हैक्टर, मुरब्बा नम्बर 36 में 2.405 हैक्टर, मुरब्बा नम्बर 41 में 1.075 हैक्टर, मुरब्बा नम्बर 50 किला नम्बर 3(0.228) हैक्टर, किला नम्बर 4(0.228) हैक्टर, किला नम्बर 5(0.228) हैक्टर, किला नम्बर 6(0.253) हैक्टर, किला नम्बर 7(0.005) हैक्टर, किला नम्बर 64/10(0.126) हैक्टर खाला, किला नम्बर 64/14(0.069) हैक्टर खाला, किला नम्बर 64/19(0.050) हैक्टर खाला का खातेदार घोषित किया जाता है.

वाद व्यय शून्य वास्ते....शून्य.....खर्चा इस प्रकरण पर हुऐ व्यय मय ब्याज...शून्य.....दर वार्षिक ...शून्य.....आज की तिथि से वसूली दिवस तक अदा करें.

मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 1 जून, 2018 को जारी की गयी.

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक दण्डनायक (फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीगंगानगर.

वादी	राशि (00.00)	प्रतिवादी	राशि (00.00)
स्टाम्प वादपत्र	00.00	स्टाम्प वकालतनाम	00.00
स्टाम्प वकालतनाम	00.00	स्टाम्प आवेदनपत्र	00.00
स्टाम्प अभिलेखीय साक्ष्य	00.00	वकील शुल्क	00.00
वकील शुल्क	00.00	व्यय साक्षीगण	00.00
व्यय साक्षीगण	00.00	आयुक्त शुल्क	00.00
आयुक्त शुल्क	00.00	व्यय इजराय	00.00
कुल	00.00	कुल	00.00

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक दण्डनायक (फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर